

रकबा 14.11 का विनायन पक्षकारान क कब्जा कास्त अनुसार
नहीं होने के कारण उसका अपील पेश करने का औचित्य समाप्त
हो जावेगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा न्याय
हित में तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौजा मौजा कुम्पलिया के खसरा
नंबर 466, 467, 468, 469, 713/470 कुल रकबा 167.09 बीघा
एवं मौजा डूंगरनाड़ा के खसरा नंबर 537 रकबा 14.11 बीघा के
मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी
पेशी तारीख तक जारी की जाती है। उक्त अनुसार अहकाम
अप्रार्थीगण को जारी हो। पत्रावली आगामी पेशी तारीख
21.3.2018 को पेश हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

21.3.18

प्रार्थी के वकील उपर लिखन
आदेश की दिवधि आगामी पेशी
तारीख तक बढ़ि जाती हो पत्रावली
कुल पत्रावली के साथ तारीख
30.4.18 को पेश हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

30.4.18

प्रार्थीगण के वकील उपर
लिखन आदेश की दिवधि आगामी
पेशी तारीख तक बढ़ि जाती
हो पत्रावली कुल पत्रावली के
साथ तारीख 30.5.2018 को पेश हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

30.5.18

पत्रावली कुल पत्रावली के
साथ कोर्ट कम्प वापर में
पेश हुई। कुल अपील में
विधीय हो उठा हो इस पत्रावली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

में कोई कृषिवाही डिपेण्डिन्ट नहीं होने
से जारी स्वयं कालेज स्टारिज डिपेंड
जाना है पत्रावली कूल पत्रावली के
समय बत्ती है।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विद्यार्थीगण

1. देवनाथ पुत्र मंगाराम
2. भीराराम पुत्र मंगाराम
3. खेताराम पुत्र मंगाराम
4. जयाराम पुत्र मंगाराम
5. सुभाराम पुत्र मंगाराम
6. भीराराम पुत्र मंगाराम
7. खेतु पति मंगाराम

जिला बाड़मेर

श्रीमान महोदय, जिला

स्वयं हाथम पत्र